

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या: 3040/1जी-FP/UK/ROAD/16309/2015 देहरादून: दिनांक: 08 अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शान्ति बाजार—मठखाल—तल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु—0.993 है० वन भूमि का गैर वनिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन FP/UK/ROAD/16309/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक—3039 दिनांक 08-4-2016 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,


(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या /1जी-FP/UK/ROAD/16309/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य वन संरक्षक कुमाऊँ, नैनीताल।
3. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।

(एस०टी०एस० लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत शान्ति बाजार-मठखाल-तल्ला मोटर मार्ग निर्माण हेतु-0.993 है0 वन भूमि का गैर वनिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन FP/UK/ROAD/16309/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु बागेश्वर वन प्रभाग में 0.993 है0 राजस्व वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपरोक्त वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, तथा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनहित में प्रस्ताव में प्रति है0 50 से अधिक अनुपात में वृक्ष प्रभावित होने के कारण प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस0टी0एस0लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

तिथि : 8 / 04 / 2016

स्थान : देहरादून

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संवर्क्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक— 3039 / FP/UK/ROAD/16309/2015 :देहरादून:दिनांक: 08 अप्रैल, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:— जनपद—बागेश्वर में शान्ति बाजार—मठखाल—तल्ला डोबा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.993 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/16309/2015)

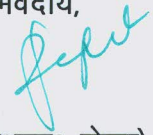
संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या—Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06-11-2015.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भारत सरकार के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

